

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक:—प.1(92)नविवि / जयपुर / 2024

जयपुर, दिनांक:

आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के क्षेत्राधिकार जोन-11 में फागी रोड पर राजस्व ग्राम अचरावाला, जयसिंहपुरा उर्फ तेजावाला एवं अभयपुरा की 172.61 हैक्टेयर भूमि पर तैयार की गई ड्राफ्ट लैण्ड पूलिंग स्कीम हेतु RLPS Act, 2016 की धारा 21 (1) के तहत RLPS Rule, 2020 के नियम 12(1) पर उल्लेखित प्रावधान अनुसार अतिरिक्त आयुक्त (Land Acquisition Office) जविप्रा को Land Pooling Officer नियुक्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक जविप्रा/अति.मु.न.नि. /मा.प्लान/2024/डी- दिनांक 10.12.2024 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. निदेशक, आयोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त, भूमि अवाप्ति कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, नगरीय विकास विभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—प्रथम